न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

मु.न. 90 / 2020

प्रार्थीगण

1. मृतक घेवरचन्द पुत्र भीमाराम जाति सुथार निवासी अर्जियाना के कायम मुकाम

1 / 1 दरियादेवी बेवा स्व. घेवरचन्द जाति सुथार निवासी अर्जियाना

1 / 2 ललित कुमार पुत्र स्व. घेवरचन्द जाति सुथार निवासी अर्जियाना

1 / 3 ओमाराम पुत्र स्व. घेवरचन्द जाति सुथार निवासी अर्जियाना

1 / 4 दिनेश पुत्र स्व. घेवरचन्द जाति सुथार निवासी अर्जियाना

1 / 5 किशोर कुमार पुत्र स्व. घेवरचन्द जाति सुथार निवासी अर्जियाना

2 सुखीदेवी पत्नी भीमारामम जाति सुथार निवासी अर्जियाना सभी तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. अमरसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत निवासी बीजलिया
2. अर्जुनसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत निवासी बीजलिया
3. किशोरसिंह पुत्र मंगलसिंहजाति राजपूत निवासी बीजलिया
4. खुमसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी बीजलिया
5. गणपतसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत निवासी बीजलिया
6. नाबलिंग पदमसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत निवासी बीजलिया संरक्षक सरपरस्त जरिये कुदरती वली माता लक्ष्मीकंवर पत्नी विशनसिंह जाति राजपूत निवासी बीजलिया
7. मु. रसालकंवर पत्नी लालसिंह जाति राजपूत निवासी बीजलिया
8. मु.लक्ष्मीकंवर पत्नी विशनसिंह जाति राजपूत निवासी बीजलिया
9. माधुसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी बीजलिया
10. मोहनसिंह पुत्र हडवन्तसिह जाति राजपूत निवासी बीजलिया
11. शैतानसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत निवासी बीजलिया
12. सोहनसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत निवासी बीजलिया
13. श्रीमती परमेश्वरी देवी पत्नी रूगनाथराम जाति विश्नोई निवासी फूलण तह. समदडी
14. देवाराम पुत्र मिसराराम जाति भील निवासी बीजलिया
15. मु. दिवाली पत्नी मिसराराम जाति भील निवासी बीजलिया

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

16. हंजाराम पुत्र मिसराराम जाति भील निवासी बीजलिया

17. गोविन्दराम पुत्र पूनमा जाति सुथार निवासी अर्जियाना

18. छगनलाल पुत्र पूनमा जाति सुथार निवासी अर्जियाना

19. केशीदेवी पत्नी पूनमाराम जाति सुथार निवासी अर्जियाना

20. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

21. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई कृषि विकास शाखा सिवाना

22. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: आदेश :–

दिनांक :– 02.09.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजाा बीजलिया पटवार क्षेत्र देवन्दी तहसील सिवाना में स्थित गांव बीजलिया से देवडा जाने वाले राजस्व कटाण का रास्ता सडक मार्ग से जुडतता पूर्व दिशा की ओर आये हुए खेत खसरा संख्या 24 में जाने हेतु कटाण मार्ग के बदिशा दक्षिण–पूर्व दिशा की ओर स्थित सरहद मौजा बिजलिया पटवार क्षेत्र देवन्दी तहसील सिवाना में आई कृषि भूमि खसरा संख्या 24,25,224/26 में से होते हुए पूर्व दिशा की आरे आये हुए खेत खसरा संख्या 225/26 की कृषि भूमि में प्रवेश होने तक जाने के लिए रास्ता बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया उक्त रास्ता एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मे आवगमन हेतु नजदीकी एंव सुलभ रास्ता है प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट''अ''में बरंग लाल से दर्शाया है। प्रार्थीगण कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते से होकर सडक मार्ग तक आवगमन करता है इसके अतिरिक्त उसके पास इस हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के खेत मे से प्रचलित उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 17 से 20 व 22 के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई विप्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री खीमाराम आकबल द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जबाव पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में जुडता खसरा संख्या 273/23 बताया है जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। प्रार्थी ने खसरा संख्या 225/26 में आने–जाने हेतु खसरा संख्या 24 व 25 के बदिशा दक्षिण व पश्चिम में रास्ते की मांग की है जो अनुचित है क्योकि

...ण्ड अधिकारी
...वाना (बाडमेर)

खसरा संख्या 25 के बदिशा दक्षिण में खसरा संख्या 26 जो कि एक ही था जिसका भाई बंटवाडा हुआ तथा प्रार्थीगण को खसरा संख्या 26 से ही रास्ता मांगना चाहिए था तथा खसरा संख्या 224/26,261/26,222/26 व 223/26 के उत्तरी भाग की माठ से रास्ते की मांग करनी चाहिए थी तथा खसरा संख्या 25 के काश्तकार के अनुसूचित जनजाति के गरीब काश्तकार है तथा उन्हे डरा –धमका कर नियम विरूद्व रास्ता लेने चाहते है जो प्राकृतिक नियम सिद्वान्त के विपरित है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जाना खारिज फरमाया जावे।

भूमि धारक तहसीलदार सिवाना से रिर्पोट ली गई। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिर्पोट पत्रांक राजस्व/2021/29 दिनांक 14.01.2021 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा मांगे रास्ते अर्थात उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण के खेत से राजकीय कटाण मार्ग तक पहुंचने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है मौजा ग्राम बिजलिया के खसरा संख्या 24 में रास्ते हेतु 840 फीट लम्बाई तथा 12 फीट चोडा रास्ता का रकबा 0.5785 बीघा अर्थात 0.0936 हैक्टयर तथा खसरा संख्या 25 में रास्ते की लम्बाई 1235 फीट तथा चौडाई 12फीट का रकबा 0.8505 बीघा अर्थात 0.1376 हैक्टयर तथा खसरा संख्या 224/26 मे से रास्ते की लम्बाई 465 फीट तथा चौडाई 12 फीट का रकबा 0.320 बीघा अर्थात 0.0518 हैक्टयर है ।

हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात, तहसीलदार सिवाना द्वारा दोनो मौका रिर्पोट का गहराई से अवलोकन किया गया। तहसीलदार सिवाना की रिर्पोट अनुसार प्रार्थीगण द्वरा चाहा गया रास्ता ही सबसे नजदीकी और एकमात्र विकल्प है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण को कटान मार्ग से अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तावित प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि मौजा बीजलिया के खेत खसरा नम्बर 225/26 मे आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत ख्खसरा संख्या 24 में रास्ते हेतु 840 फीट लम्बाई तथा 12 फीट चोडा रास्ता का रकबा 0.5785 बीघा अर्थात 0. 0936 हैक्टयर तथा खसरा संख्या 25 में रास्ते की लम्बाई 1235 फीट तथा चौडाई 12फीट का रकबा 0.8505 बीघा अर्थात 0.1376 हैक्टयर तथा खसरा संख्या 224/26 मे से रास्ते की लम्बाई 465 फीट तथा चौडाई 12 फीट का रकबा 0.320 बीघा अर्थात 0.0518 हैक्टयर भूमि रास्ता हेतु अपलिखित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार सिवाना की मौका रिपोर्ट दिनांक 31.12.2020 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बरंग लाल विप्रार्थीगण के खेत सरहद मौजा बिजलिया में खसरा संख्या 24 में रास्ते हेतु 840 फीट लम्बाई तथा 12 फीट चौडा रास्ता का रकबा 0.5785 बीघा अर्थात 0.0936 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 25 में रास्ते की लम्बाई 1235 फीट तथा चौडाई 12 फीट का रकबा 0.8505 बीघा अर्थात 0.1376 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 224/26 में से रास्ते की लम्बाई 465 फीट तथा चौडाई 12 फीट का रकबा 0.320 बीघा अर्थात 0.0518 हैक्टेयर रास्ता घोषित किया जाता है। उक्त परिशिष्ठ नजरी नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग होगा।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

निर्णय आज दिनांक **02.09.2022** को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

(कुसुमलता चौहान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

खसरा किश्तवार (आंशिक)
मौजा बिजलिया
तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
पैमाना 1 इंच = 40 गट्ठा

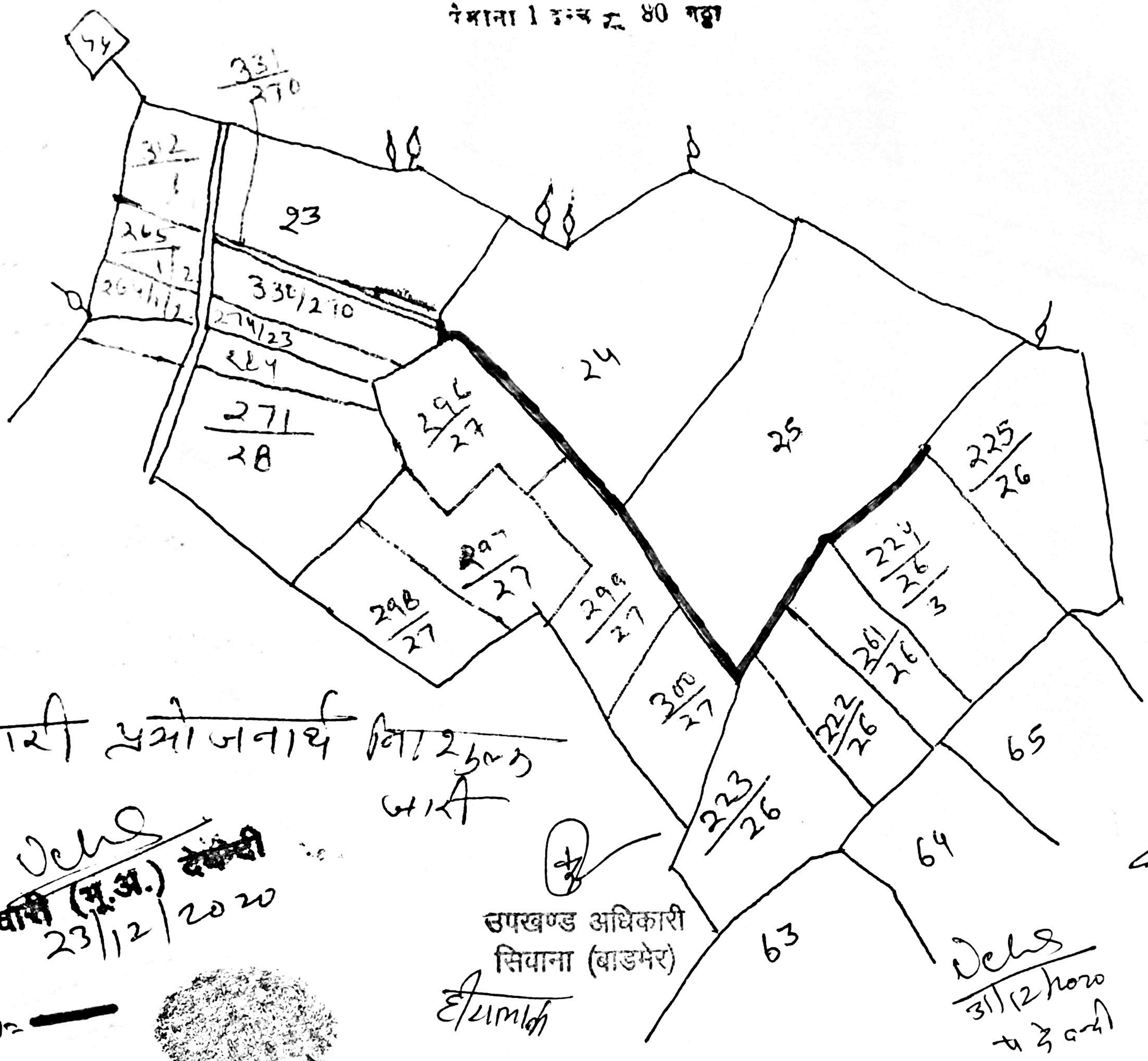

सरकारी प्रयोजनार्थ आरक्षित भारी

पटवारी (भू.अ.)
23/12/2020

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

31/12/2020

तहसीलदार सिवाना

[redacted]